राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - मत्स्य बीज पालन क्षैत्र का विकास

1	योजना का नाम	**मत्स्य बीज पालन क्षैत्र का विकास**
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य में मछली पालन की विपूल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निजी क्षैत्र में मछली बीज पालन हेतु नर्सरी पोण्ड, रियरिंग पोण्ड एवं जलापूर्ति व्यवस्था हेतु अनुदान दिया जाता है। ताकि ग्रामीण क्षैत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कर कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार हो सके।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2008–09
4	लाभान्वित वर्ग	आमजन
5	पात्रता	• पोण्ड्स के निमार्ण हेतु स्वयं की भूमि • मत्स्य पालन का प्रशिक्षण। • सीड रियरिंग क्षैत्र में व्यक्ति लगाहुआ हो।
6	देय सुविधा	पोण्ड निर्माण पर होने वाले व्यय की वास्तविक राशि अथवा अधिकतम 3.00 लाख रुपये प्रति हैक्टर
7	आवेदन का तरीका	प्रपत्र संलग्न
8	आवेदन कहां किया जावे	जिला मत्स्य कार्यालय
9	आवेदन के साथ औपचरिकताऐं	• निवास प्रमाण पत्र • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र • जाति प्रमाण पत्र • भूमि की जमाबंदी की नवीनतम नकल • ट्रेस नक्शा • तकमीना, डिजाईन • प्रोजक्ट रिपोर्ट • मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट
10	सम्पर्क सूत्र	जिला मत्स्य अधिकारी

नोटः– आवेदक का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा किया जावेगा।